किया जाना है। अन्त में वादी श्री पन्नालाल मय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस वाद को विड्रो कर इसी आराजी भूमि का नया वादपत्र नये प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करावें।

पत्रावली विड्रो प्रार्थना पत्र पर बहस एवं आदेश हेतु दिनांक 15/6/2018 को पेश होवे।

15/6/2018 पत्रावली प्रस्तुत हुई वादी अधिवक्ता तथा वादी श्री पन्नालाल उपस्थित। विड्रो प्रार्थनापत्र पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जो कि विड्रो प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुरूप ही रही। हमने पत्रावली तथा वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत विड्रो प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र के अनुसार प्रकरण में वाद ग्रस्त भूमि जरिये विक्रय पत्र अन्य व्यक्तियों को अन्तरित हो चुकी है, अतः वादीगण परिवर्तित/नये व्यक्तियों/सहखातेदारों के विरुद्ध नया वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए यह वादपत्र विड्रो करने की अनुमति चाहते हैं। वादी अधिवक्ता की बहस तथा विड्रो प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह विड्रो प्रार्थनापत्र न्यायोचित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है तथा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़

श्री पन्नालाल वगैरह विपक्षी श्रीनाना

दफा शा.वा. पत्रावली संख्या 20 सन् 2014

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
वादग्रस्त भूमि के नये / परिवर्तित सहखातेदारों के विरुद्ध नया वाद पत्र प्रस्तुत करने का वादीगण का अधिकार सुरक्षित रखते हुए यह वादपत्र विड्रा करने की अनुमति दी जाती है।	
पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	
निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
[signature] 15/6/18	
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी	